दिनांक 20.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 336/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खालापार

- **अवैध असलहों की खरीद फरोख्त करने वाले अन्र्तजनपदीय गिरोह के 10 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **10 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **10 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19/20.06.2026 की रात्रि थाना खालापार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तहसील के पीछे खण्डर से अवैध असलहों की खरीद फरोख्त करने वाले अन्र्तजनपदीय गिरोह के 10 अभियुक्तों 1–मुकुल 2–अजय 3–सोनू 4–दीपांशू 5–ओमवीर 6–समीर 7–निखिल 8–वंश 9–करण 10–ललित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 10 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 10 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना खालापार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकुल निवासी पीठ बाजार थाना व कस्बा छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

2–अजय निवासी मिरगपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

3–सोनू निवासी नन्हेडा थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर।

4–दीपांशू निवासी मोहल्ला बैंकवाला कस्बा व थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

5–ओमवीर निवासी कस्बा व थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

6–समीर निवासी नयापीर रामपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

7–निखिल निवासी कुकडा थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

8–वंश निवासी शान्तिनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

9–करण निवासी पटेलनगर थाना नईमण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

10–ललित निवासी हरिपुरम कुकडा मण्डी थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–10 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3–10 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी 03 लग्जरी कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 19.06.2026 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खरगोश पार्क के पास से 02 अभियुक्तों 1–नीरज 2–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी 03 लग्जरी कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त नीरज के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग व अभियुक्त अजय के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज निवासी ग्राम शक्तिफार्म टैगोर नगर थाना सितारगंज जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड वर्तमान पता–सेक्टर–19 गौतमबुद्धनगर।

2–अजय निवासी ग्राम बालाकुटी थाना बाक्सिर हाट जनपद कोच बिहार, पश्चिम बंगाल।

बरामदगी

1–चोरी 03 लग्जरी कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मीरापुर पर पंजीकृत अभियोग में 02 अभियुक्तों 1–गजेन्द्र उर्फ गोलू 2–रामकिरण उर्फ सावन को धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत मृत्युदण्ड व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना महराजगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना महराजगंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सुनील को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सद्दीक को धारा 376डी/452/305/506 भादवि व पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना पिहानी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पिहानी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रजनीश कुमार उर्फ कुलदीप को धारा 377 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना न्यू आगरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना न्यू आगरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त राजाराम को धारा 363/366/328/506 भादवि व 5एल/6 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।